झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–536 वर्ष 2017

गोकुला नंद प्रसाद .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, झारखण्ड

3. उपायुक्त, देवघर

4. अंचल अधिकारी, सारथ, देवघर

5. कोषाधिकारी, उप–कोषागार, मधुपुर, देवघर, झारखण्ड .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री प्रशांत पल्लव, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– जी0पी0–II का ए0सी0

7/06.02.2019 याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता ने सेवानिवृत लाभ के विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के संबंध में अपनी प्रार्थना को सीमित रखा।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि इस रिट आवेदन को दाखिल करने के बाद ही ए0सी0पी0 और एम0ए0सी0पी0 के लाभों के रूप में 1,99,328/–

रूपयों का भुगतान याचिकाकर्ता को किया गया है, हालांकि वह 31.12.2011 को सेवा से सेवानिवृत हो गए थे।

राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि गलती उनकी ओर से नहीं है और देरी अनजाने में हुई थी। वह आगे कहते हैं कि परिपत्र प्राप्त करने के बाद ही उन्होनें राशि जारी की है।

माना गया है कि याचिकाकर्ता 31.12.2011 को सेवानिवृत हो गया और मार्च 2017 में ए0सी0पी0 और एम0ए0सी0पी0 के लाभ प्रदान किए गए। इस प्रकार, छह साल की देरी है। इससे संबंधित राशि रू0 1,99,328/–, राज्य के पास पड़ा था। चूंकि, भुगतान करने में देरी हुई है, इसलिए मैं उत्तरदाताओं को सेवानिवृति कीतारीख से भुगतान करने की तारीख तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देता हूँ।

उपरोक्त निर्देश के साथ, इस रिट आवेदन का निपटान किया जाता है।

(श्री आनंदा सेन, न्याया0)